बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम
अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय,चकिया, जिला-पूर्वी चंपारण

शिकायत का निवारण ही मेरा आधार

परिवाद संख्या- 9999901101223430959
परिवाद प्राप्ति की तिथि- 10/12/2023

परिवादी का नाम-
MORMATI DEVI
परिवादी का पता-
AT- GAWANDRI, WARD NO-13,

09/01/2024
अंतिम विनिश्चय
अभिलेख उपस्थापित। परिवादी मोरम्मती देवी, पिता/पति-हरेन्द्र सिंह, ग्राम-गवन्द्री, पो0-हाजीपुर, प्रखण्ड-कल्याणपुर, अनुमंडल-चकिया, जिला-पूर्वी चम्पारण द्वारा दायर परिवाद "श्रीमान आज दिनांक 10/12/2023 को सरकारी सड़क जो गैर्माजुरुआ आम है उक्त भूमी पर ज़बरण विनोद सिंह पिता स्व रामजलम सिंह द्वारा सड़क को कब्ज़ा किया गया , केसरिया थाना को सुचना देने पर भी रोक थाम नहीं किया गया , अत आप से निवेदन है कि सरकारी सड़क अतिकर्मन को यथा शिघ्र रोका जाये और सरकारी अमिन द्वारा पैमाईस कर मेरे निजी भूमी को चिन्हितकर कर निकलवाया जाये" परिवादी को सुना। उक्त परिवाद के आलोक में लोक प्राधिकार-सह-अंचलाधिकारी, कल्याणपुर के पत्रांक-25, दिनांक-08.01.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "दोनों परिवादी मौजा-गवन्द्री, थाना नं0-196, खेसरा नं0-1639 से अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में है। उक्त परिवाद की जाँच राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन से कराई गई। जाँचोपरान्त राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन के जाँच तथा पैमाईश प्रतिवेदन के पश्चात अतिक्रमण वाद संख्या-16/2023-24 संधारित कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। अतः अनुरोध है कि परिवादी को उक्त अतिक्रमण वाद में ही पक्ष रखने की सलाह देते हुए इस परिवाद की कार्रवाई समाप्त करने की कृपा की जाय। सादर सूचनार्थ समर्पित।" लोक प्राधिकार-सह-अंचलाधिकारी, कल्याणपुर के उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि यह परिवाद अतिक्रमण से संबंधित है जो अंचलाधिकारी के न्यायालय का मामला है। अतः लोक प्राधिकार-सह-अंचलाधिकारी, के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं विभागीय पत्रांक-बि0प्र0सु0मि0सो0/बीआरपीजीआरए (विविध)-13/2018सो0-1467, दिनांक-16.08.2019 में दिये गये निदेश के आलोक में वाद की अग्रेतर कार्रवाई अंचलाधिकारी के स्तर से सम्पन्न की जाएगी। उक्त के आलोक में परिवादी को निदेश दिया जाता है कि अंचल में दर्ज किए गए अतिक्रमण वाद संख्या-16/2023-24 में अंचल कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए अनुतोष प्राप्त करें। उक्त सुझाव के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Radhe Shyam Kumar Mishra
Digitally signed by Radhe Shyam Kumar Mishra
Date: 2024.01.09 15:47:01 +05'30'

हस्ताक्षर
(अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय,चकिया, जिला-पूर्वी चंपारण)

न्यायालय, अंचलाधिकारी कल्याणपुर, पूर्वी चम्पारण।

नोटिस

अतिकमण वाद सं0:– 16/2023-24

(बिहार सार्वजनिक भूमि अतिकमण अधिनियम–1956 धारा–03)

बनाम श्री विनोद सिंह

पिता [illegible]

ग्राम [illegible]

जिला–पूर्वी चम्पारण।

बजरिये नोटिस आपको आगाह किया जाता है कि मौजा [illegible] थाना नं0 176 अर्न्तगत खाता सं0 — खेसरा सं0 1439 रकबा 0.2 डि जो कि बिहार सार्वजनिक भूमि अतिकमण अधिनियम 1956 की धारा 2(2) में परिभाषित प्रावधानों के अनुसार शुद्ध रुप से एक सार्वजनिक भूमि है पर लगातार अवैध रुप से अतिकमण जारी रखने के लिए आपको जिम्मेवार पाया गया है। एतद द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक 24/01/24 को 11:00 पूर्वाह्न बजे आप मेरे न्यायालय में हाजिर होकर कारणपृछा दाखिल करे कि इस अतिकमण को हटाने का आदेश क्यों नहीं पारित किया जाय।

2. सख्त ताकिद जाने कि विहित तिथि एवं समया पर यदि आप हाजिर नही होते है तो आपकी अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय ले लिया जाएगा।

अंचल अधिकारी
कल्याणपुर

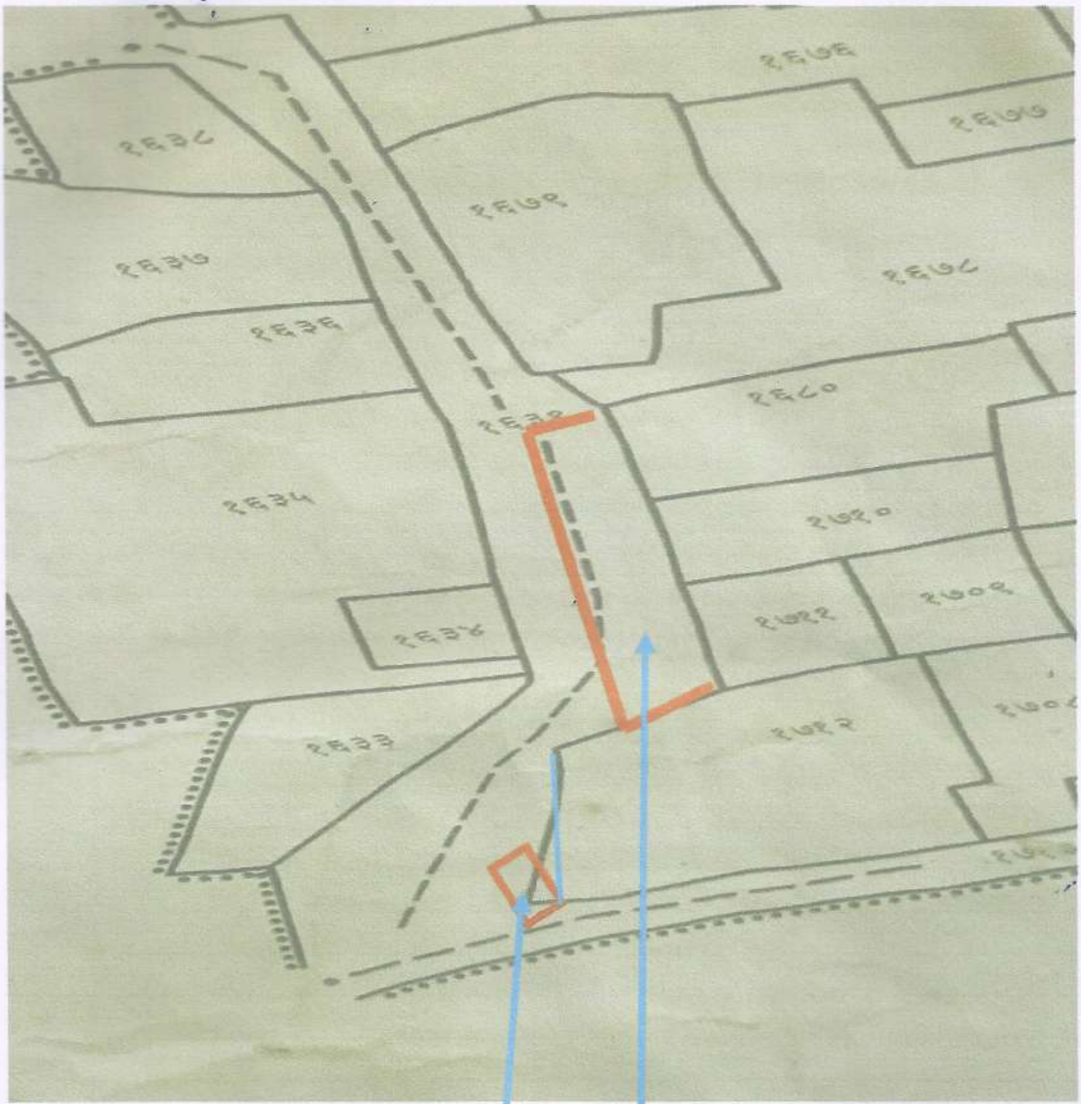

2 DECIMAL

BY VINODH SINGH

ROAD NO 1639

0.05 DECIMAL

BY PANKAJ SINGH

ROAD NO 1713 & 1639

ROAD AND STREET CORNER

Already cleard by you in 2013 to 2017